न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

शेख असगर अली, चौधर मौहल्ला, इमरान मेंशन के पास, अजमेर जरिये श्री शेख असगर अली पुत्र श्री शेख रावसन, निवासीः— सिलावट मौहल्ला, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.07.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अप्रमाणित गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से दो अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	अंकित नही	अंकित नही	1.0	2.0	1.0	अप्रमाणित
2	अंकित नही	अंकित नही	1.0	3.0	2.0	अप्रमाणित

को कब्जेराज लिया गया। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः दो अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासीः— फकीराखेडा, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा अप्रमाणिते गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 09.03.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नही किया जाता है। उक्त एल.पी.जी. सिलेण्डर अप्रार्थी ने केवल अपनी दुकान पर लाकर रखे थे, जिन्हे अपात स्थिति में आवश्यकता पडने पर भरवाकर घरेलू उपयोग में लिया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें तथा जब्त किये गये गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा एल.पी. जी. गैस का अप्रमाणित गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जब्त सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner